ज्ञान शान्ति मैत्री

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, कमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

"नैक द्वारा 'ए' ग्रेड प्रमाणित"

गांधी हिल्स, वर्धा–442001(महाराष्ट्र)

www.hindivishwa.org

कार्यवृत्त

विद्या–परिषद की 28वीं बैठक

दिनांक	:	17 जुलाई, 2018
समय	:	पूर्वाह्न 10:30 बजे
स्थान	:	संगोष्ठी कक्ष साहित्य विद्यापीठ, म. गां. अं. हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

विद्या–परिषद की 28वीं बैठक

स्थान : संगोष्ठी कक्ष(संख्या–130)
साहित्य विद्यापीठ
म. गां. अं. हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा

दिनांक : 17 जुलाई, 2018

समय : पूर्वाह्न 10:30 बजे

विषय सूची

मद संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	27वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि	2
2	27वीं बैठक के कार्यवृत्त के अनुसरण में की गई अनुवर्ती कार्रवाई	2–3
3	संज्ञानार्थ विषय	3–5
4	उत्तर–पुस्तिकाओं को एक वर्ष के पश्चात नष्ट किया जाना	5
5	पी–एच.डी. शोधार्थियों को प्रदत्त अस्थायी उपाधि	5–6
6	शिक्षकों को विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत शोध परियोजनाएँ	7
7	भारतीय विचारकों के जीवन–दर्शन एवं चिंतन के आधारभूत पक्षों से विद्यार्थियों का परिचय	7
8	हिंदी सिनेमा के प्रख्यात अभिनेता श्री अमिताभ बच्चन को विश्वविद्यालय अधिनियिम/ परिनियम के प्रावधानों के अनुसार मानद डी–लिट. उपाधि प्रदान करना	7
9	अंकपत्र में प्रतिशत एवं प्राप्तांक का भी उल्लेख किया जाना	7
10	दिव्यांगों के लिए प्रवेश मर्में आरक्षण	7
11	परीक्षा दायित्वों हेतु मानदेय	8
12	प्रश्न–पत्र निर्माण एवं अन्य कार्य हेतु मानदेय	8
13	प्रवेश परीक्षा समिति का गठन	8
14	अंकसूची/प्रमाण–पत्र की द्वितीय प्रति जारी करने हेतु शुल्क निर्धारण	8
15	अंकपत्र/प्रमाणपत्र में नाम सुधार शुल्क	8
16	विभिन्न विभागों/केंद्रों से नए सत्र में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों हेतु पाठ्य–संरचना एवं क्रेडिट आदि का निर्धारण	9
17	परीक्षा हेतु सर्वर तथा सॉफ्टवेयर की आवश्यकता	9

18	राष्ट्रीय अकादमिक डिपाजिटरी के साथ अनुबंध	9
19	दूर शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत नियमित माध्यम से पी-एच.डी. का प्रस्ताव	9
20	निर्धन एवं मेधावी विद्यार्थियों हेतु छात्रवृत्ति	10
21	भाषा विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की 14वीं बैठक का कार्यवृत्त	10
22	संस्कृति विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की 14वीं बैठक का कार्यवृत्त	10
23	अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ स्कूल बोर्ड की 6ठी बैठक का कार्यवृत्त	10
24	शिक्षा विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की 7वीं बैठक का कार्यवृत्त	10
25	मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की 8वीं बैठक का कार्यवृत्त	10
26	क्षेत्रीय केंद्र कोलकाता में अकादमिक वर्ष 2018-19 से चीनी भाषा में प्रमाणपत्र एवं डिप्लोमा प्रारंभ करने पर विचार	11
	**** अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय ****	
27	साहित्य विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की बैठक का कार्यवृत्त	11
28	पी-एच.डी. शोध शीर्षक बदलने/संशोधन का प्रावधान	11
29	हिन्दी विस्तार केंद्र की स्थापना	12

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

** कार्यवृत्त **

विद्या–परिषद की 28वीं बैठक

विद्या–परिषद की 28वीं बैठक दिनांक 17.07.2018 (मंगलवार) को पूर्वाह्न 10:30 बजे साहित्य विद्यापीठ के संगोष्ठी कक्ष, विश्वविद्यालय परिसर, वर्धा में कुलपति की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार थी :

1.	प्रो. गिरीश्वर मिश्र	कुलपति एवं अध्यक्ष
2.	प्रो. आनंद वर्धन शर्मा	अधिष्ठाताः शिक्षा विद्यापीठ तथा अधिष्ठाताः प्रबंधन विद्यापीठ प्रतिकुलपति
3.	प्रो. मनोज कुमार	अधिष्ठाताः मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ तथा अधिष्ठाताः विधि विद्यापीठ
4.	प्रो. देवराज	अधिष्ठाताः अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ
5.	प्रो. प्रीति सागर	साहित्य विद्यापीठ
6.	प्रो. विजय कुमार कौल	निदेशक, सूचना तथा भाषा अभियांत्रिकी विभाग
7.	प्रो.(श्री मती) कुमुद शर्मा	दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली (बाह्य सदस्य)
8.	प्रो. शंभु गुप्त	अध्यक्ष एवं प्रोफेसरः स्त्री अध्ययन विभाग
9.	प्रो. नृपेन्द्र प्रसाद मोदी	अध्यक्षः गांधी एवं शांति अध्ययन विभाग
10.	प्रो. अनिल कुमार राय	अध्यक्षः जनसंचार विभाग एवं अधिष्ठाताः विद्यार्थी कल्याण
11.	प्रो. फरहद मलिक	अध्यक्षः मानवविज्ञान विभाग
12.	डॉ. गोपाल कृष्ण ठाकुर	अध्यक्षः शिक्षा विभाग एवं कुलानुशासक
13.	प्रो. अनिल कुमार पाण्डेय	अध्यक्षः भाषाविज्ञान एवं भाषा प्रौद्योगिकी विभाग
14.	प्रो. वृषभ प्रसाद जैन	प्रोफेसर, भाषा विद्यापीठ
15.	प्रो. कृपाशंकर चौबे	प्रोफेसर एवं प्रभारी–क्षेत्रीय केंद्र, कोलकाता
16.	प्रो. अवधेश कुमार	प्रोफेसर, हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग
17.	प्रो. अखिलेश कुमार दुबे	प्रोफेसर, हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग
18.	डॉ. रवीन्द्र टी बोरकर	क्षेत्रीय निदेशक / एसोशिएट प्रोफेसर, दूर शिक्षा निदेशालय
19.	डॉ. मैत्रेयी घोष	पुस्तकालयाध्यक्ष
20.	डॉ. अमित राय	सहायक प्रोफेसर, दूर शिक्षा निदेशालय
21.	डॉ. अमरेन्द्र कुमार शर्मा	सहायक प्रोफेसर, दूर शिक्षा निदेशालय
22.	श्री संदीप कुमार सपकाले	सहायक प्रोफेसर, दूर शिक्षा निदेशालय
23.	डॉ. शैलेश कदम मरजी	सहायक प्रोफेसर, दूर शिक्षा निदेशालय

24.	डॉ. शिरीष पाल सिंह	प्रभारी अध्यक्षः मनोविज्ञान विभाग
25.	डॉ. सुरजीत कुमार सिंह	प्रभारी निदेशकः डॉ. भदंत आनंद कौसल्यायन बौद्ध अध्ययन केंद्र (विशेष आमंत्रित)
26.	डॉ. राजीव रंजन राय	प्रभारी अध्यक्षः प्रवासन एवं डायस्पोरा अध्ययन विभाग (विशेष आमंत्रित)
27.	डॉ. रामप्रकाश यादव	प्रभारी अध्यक्षः अनुवाद अध्ययन विभाग (विशेष आमंत्रित)
28.	डॉ. विधु खरे दास	प्रभारी– क्षेत्रिय केंद्र, इलाहाबाद (विशेष आमंत्रित)
29.	सुश्री मैत्रेयी	प्रभारी अध्यक्षः अंग्रेजी विभाग (विशेष आमंत्रित)
30.	श्री लेखराम दन्नाना	प्रभारी अध्यक्षः संस्कृत विभाग (विशेष आमंत्रित)
31.	डॉ. हिमांशु शेखर	प्रभारी अध्यक्षः उर्दू विभाग (विशेष आमंत्रित)
32.	श्री धर्मेन्द्र शंभरकर	प्रभारी अध्यक्षः मराठी विभाग (विशेष आमंत्रित)
33.	डॉ. शोभा पालीवाल	अकादमिक संयोजक (विशेष आमंत्रित)
34.	श्री के के त्रिपाठी	परीक्षा प्रभारी (विशेष आमंत्रित)
35.	प्रो. कृष्ण कुमार सिंह	कार्यकारी कुलसचिव एवं पदेन सचिव

शेष सदस्य अपरिहार्य कारणों से बैठक में उपस्थित नहीं हो सके।

इसके बाद अध्यक्ष की अनुमति से बैठक की कार्यवाही आरंभ की गई और विचार–विमर्श के उपरांत निम्नलिखित निर्णय लिए गए :

मद संख्या –1

27वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

विद्या–परिषद की दिनांक 27.01.2018 को संपन्न 27वीं बैठक के कार्यवृत्त के संबंध में कुछ सदस्यों से प्राप्त सुझाव/अभिमत को विद्या–परिषद ने संज्ञान में लिया।

मद संख्या–02

27वीं बैठक के कार्यवृत्त के अनुसरण में की गई अनुवर्ती कार्रवाईः अपेक्षित मुद्दों पर कृत कार्रवाई को नोट कर संतोष व्यक्त किया गया और निम्नांकित निर्णय लिए गएः

2.2 **दूर शिक्षा निदेशालय के शिक्षकों द्वारा पी–एच.डी. निर्देशन संबंधि व्यवस्था सहित एम.फिल. तथा पी–एच.डी. अध्यादेश में अन्य वांछनीय परिवर्तन एवं परिवर्द्धन** हेतु कार्यालयादेश संख्याः 005/AT(AC)/2015/183 दिनांक 05/05/2017 द्वारा गठित समिति का दिनांक 19.04.2018 एवं 02.07.2018 का प्रतिवेदन तथा संशोधित एम.फिल./पी–एच.डी. अध्यादेश को अनुमोदित किया गया।

2.7 श्री जगदीप सिंह दांगी, एसोशिएट प्रोफेसर, सूचना तथा भाषा अभियांत्रिकी केन्द्र, भाषा विद्यापीठ के शोध निर्देशन करने की पात्रता के संबंध में श्री पी. वी. टावरी अधिवक्ता से प्राप्त विधिक राय इस प्रकार हैः "Shri Jagdipsingh Dangi, Associate Professor, is B.E. only. There is nothing that he had published five research publications in referred journals and or that he is having Ph.D. degree along with at least two research publications in referred journals. It seems that Shri Jagdipsingh Dangi is not having said qualification. Therefore, he cannot

be appointed as Research Supervisor nor he can be continued, if any.", **अतः श्री जगदीप सिंह दांगी शोध निर्देशन हेतु पात्र नहीं है।** इस संबंध में पदेन सचिव ने पत्रांक 005/2015/AT(AC) 2018 दिनांक 16.07.2018 के द्वारा विधिक राय की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु अधिष्ठाता, भाषा विद्यापीठ को प्रेषित की गयी।

2.16 विश्वविद्यालय के **इलाहाबाद एवं कोलकाता क्षेत्रीय केंद्रों की अकादमिक एवं प्रशासनिक गतिविधियों के व्यवस्थित रूप** से संचालन हेतु प्रो. एल. कारूण्यकारा, अधिष्ठाता, संस्कृति विद्यापीठ की अध्यक्षता में अन्य अधिष्ठाताओं एवं दोनों क्षेत्रीय केंद्रों के प्रभारियों की सदस्यता वाली समिति की 17.04.2018 को प्रस्तुत रिपोर्ट को अनुमोदित कर इसे लागू किये जाने की निर्णय लिया गया।

3 **श्री मुन्ना कुमार, पूर्व छात्र एम.फिल. कम्प्यूटेशनल भाषाविज्ञान पाठ्यक्रम के प्रवेश निरस्तीकरण संदर्भित अपील** अधिष्ठाता, भाषा विद्यापीठ की अनुशंसा, उप–कुलानुशासक की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के उपरांत यह निर्णय लिया गया कि एम.फिल. अध्यादेश के प्रावधानों को पूरा नहीं करने के कारण श्री मुन्ना कुमार का प्रवेश कार्यालयादेश क्रमांक:19/2017/अधि.का.भा.वि./13/227 दिनांक 31.05.2017 द्वारा निरस्त किया गया था उसे अनुमोदित किया जाता है। माननीय मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ द्वारा दिनांक 09.07.2018 को दिए गए निर्णय संज्ञान में लेते हुए, इस प्रकरण को अगली कार्यपरिषद में रखा जाय।

4 **अकादमिक सत्र 2018–19 से बी.ए.–एम.ए. एकीकृत** (मानवविज्ञान) पाठ्यक्रम का संचालन आरंभ किया गया है, जिसे संज्ञान में लिया गया।

5 सत्र 2018–19 से **इतिहास, राजनीति शास्त्र एवं समाजशास्त्र** विषयों में स्नातक (सामान्य) पाठ्यक्रम म.गां.फ्यू.गु.समाजकार्य अध्ययन केंद्र के अंतर्गत संचालित किए गए हैं, जिसे संज्ञान में लिया गया।

10 **वर्ष 2018–19 का अकादमिक कैलेण्डरः** संशोधित कैलेण्डर **को अनुमोदित किया गया।** साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस 29 दिसंबर को मनाया जाना है। उक्त दिन 'स्थापना दिवस व्याख्यान' (Foundation Day Lecture) आयोजन करने का निर्णय लिया गया।

15 **विश्वविद्यालय के सभी विभागों तथा कार्यालयों में महात्मा गांधी की चित्र लगाने का प्रस्तावः** निर्णय लिया गया कि महात्मा गांधी की 2/3 फुट आकार का चित्र प्रत्येक विभाग में लगाया जाय।

➔ शेष मदों पर निर्णय अनुपालित।

मद संख्या–03

संज्ञानार्थ विषय

विश्वविद्यालय की विभिन्न गतिविधियों के संदर्भ में संज्ञानार्थ प्रस्तुत विषयों पर चर्चा के उपरांत निम्नांकित निर्णय लिए गएः

3.1 मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्देशानुसार, विश्वविद्यालय के शैक्षिक, शोध, वित्त एवं संसाधनों के परीक्षण के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ

समिति के प्रतिवेदन को विद्या–परिषद ने गंभीरता से लिया तथा विश्वविद्यालय के सभी विभागों/केंद्रों के लिए निम्नलिखित निर्णय लिये:

1. प्रत्येक विभाग के अध्ययन मंडल एवं स्कूल बोर्ड की बैठक कैलेंडर के अनुसार निश्चित समय पर अनिवार्य रूप से की जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि उक्त समितियों में विद्यार्थी/भूतपूर्व विद्यार्थी तथा रोजगार देने वाली संस्थाओं की संलग्नता सुनिश्चित की जाय।
2. विभिन्न पाठ्यक्रमों के परीक्षा कार्य में ऑनलाइन मूल्यांकन तथा मूल्यांकन कार्य में गुणात्मक सुधारों तथा विभागीय शोध योजना पर विचार कर उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए।
3. शिक्षण प्रक्रिया को यथासंभव अंतर्क्रियात्मक और अनुभवपरक बनाया जाय।
4. छात्रों के शोधकार्य की गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जाए। उन्हें राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध उच्चस्तरीय ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को अपने अध्ययन का अनिवार्य अंग बनाया जाय।
5. अध्यापन कार्य में आईसीटी (ICT) का अधिकाधिक उपयोग सुनिश्चित किया जाए।
6. प्राध्यापकों के अद्यतन शैक्षिक आत्मवृत्त (Academic Biodata) समस्त विवरणों से साथ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।
7. विभिन्न विभागों/केंद्रों के द्वारा प्रयुक्त पाठ्यक्रम में मूक्स/कोरसेरा (MOOCS/ COURSERA) पर उपलब्ध ऑनलाइन विशिष्ट पाठ्यक्रम का उपयोग किया जाए। 'स्वयं' प्लेटफार्म पर उपलब्ध पाठय्क्रमों में से पाठय्क्रम लिया जाए।
8. विभाग सुनिश्चित करें कि छात्रों और अध्यापकों के शोधपत्र संबंधित विषय की श्रेष्ठ शोध पत्रिकाओं में ही प्रकाशित किये जांय।
9. पी.एच.डी. पाठ्यक्रमों में केवल ऐसे छात्रों को ही प्रवेश किया जाए, जो संबंधित विषय की अपेक्षित/शैक्षिक पृष्ठभूमि रखते हों।
10. शिक्षण प्रक्रिया को गुणात्मक रूप से समृद्ध करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जाएँ।
11. शैक्षिक कार्य में अनुभव आधृत अध्ययन को पाठ्यचर्या में अनिवार्य रूप से समाविष्ट किया जाए।
12. हिंदी तथा भारत की अन्य भाषाओं और अंतरराष्ट्रीय भाषाओं के साथ प्रासंगिक और उपयोगी संबंध विकसित करने का यत्न किया जाए। इसके अंतर्गत पूर्वोत्तर भारत की पाँच भाषाओं के साथ हिन्दी को जोड़कर परियोजना करने हेतु प्रो. वृषभ प्रसाद जैन के विचार का स्वागत किया गया और उनसे प्रस्ताव हेतु अनुरोध किया गया।
13. गुणवत्तापूर्ण शोध परियोजना के प्रस्ताव शिक्षण विभाग/केंद्र/विद्यापीठ द्वारा प्रस्तुत किये जाएँ।

3.2 सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 के नियम–229(xi) के अनुसार मानव संसाधन विकास मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं विश्वविद्यालय को एक स्वायत्त संस्था के रूप में वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु अनुदान जारी करने के लिए त्रिपक्षीय अनुबंध करने के संदर्भ में उप सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पत्रांक F.No.20-3/2018-IV दिनांक 17.05.2018 के परिप्रेक्ष्य में उक्त अनुबंध को कार्य–परिषद की स्वीकृति प्राप्त कर मंत्रालय को प्रेषित अनुबंध को संज्ञान में लिया गया और उसमें उल्लिखित विभिन्न मानदण्डों के अनुरूप निष्पादन करने के लिए सतत प्रयास का निश्चय किया गया।

3.3 विश्वविद्यालय के विकास हेतु आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ द्वारा विद्या–परिषद की पिछली बैठक से अब तक किए गए प्रयास के क्रम में **'समाज एवं सामुदायिक**

विकास' नाम से पाठ्यक्रम चलाने, **'जमनालाल बजाज पीठ'** स्थापित करने, अपने अध्ययन का खर्च उठाने में अक्षम निर्धन विद्यार्थी के लिये **'अर्न बाई लर्न' योजना'** के बारे में की जा रही कार्रवाइओं को संज्ञान में लिया गया।

3.4 विश्वविद्यालय में एक अनूठी संकल्पना के तहत आवासीय लेखक 'राइटर–इन–रेजीडेंस' को आमंत्रित किया जाता रहा है। इसी कड़ी में आगे डॉ. इंद्रनाथ चौधुरी, प्रो. पुष्पेश पंत, प्रो. अच्युतानंद मिश्र, श्री राधेश्याम शर्मा, श्री प्रवीण बागी तथा श्री आनंद भारती को प्रेषित आमत्रण को संज्ञान में लिया गया।

3.5 **विश्वविद्यालय के शिक्षकों को वर्ष 2017–18 में स्वीकृत भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा स्वीकृत वृहत परियोजनाओं को संज्ञान में लिया गया।**

मद संख्या–04

उत्तर–पुस्तिकाओं को एक वर्ष के पश्चात नष्ट किया जानाः यह निश्चय किया गया कि पुरानी उत्तरपुस्तिकाओं को नष्ट करने के प्रावधानों की जानकारी अन्य विश्वविद्यालयों/संस्थानों से प्राप्त कर नीति निर्धारित की जाय।

उत्तर–पुस्तिकाओं का मूल्यांकन परीक्षा होने के बाद 15 दिनों के अंदर परीक्षक द्वारा जाँचकर वापस देने तथा परीक्षा परिणाम घोषित होने के 15 दिन के भीतर परीक्षार्थी द्वारा पुनःपरीक्षण हेतु अपील करने के प्रावधान को अनुमोदित किया गया।

मद संख्या–05

पी–एच.डी. शोधार्थियों को प्रदत्त अस्थायी उपाधिः जिन शोधार्थियों को सफल खुली मौखिकी परीक्षा के उपरांत निर्धारित आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण कर पी–एच.डी. उपाधि प्रदान करने की अधिसूचना जारी कर अस्थायी प्रमाणपत्र प्राप्त करने वाले निम्नांकित शोधर्थियों के कार्य को संज्ञान में लिया गया और स्वीकृति प्रदान की गईः

हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग

क्रं.	शोधार्थी का नाम	शोध प्रबंध का विषय	मौखिकी तिथि	अधिसूचना की तिथि
1	शोभा बिसेन	नमिता सिंह की कहानियों में स्त्री	12/02/2018	13/02/2018
2	राम मनोहर मिश्र	शिवमूर्ति के कथा साहित्य में युगीन समस्याएँ	03/05/2018	10/05/2018

प्रदर्शनकारी कला (नाटक एवं फिल्म) अध्ययन विभाग

क्रं.	शोधार्थी का नाम	शोध प्रबंध का विषय	मौखिकी तिथि	अधिसूचना की तिथि
1	धीरेंद्र कुमार	लोकनाट्यों की परंपरा में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोकनाट्य रूपों का अध्ययन और विश्लेषण ((विशेष संदर्भ-नौटंकी, स्वांग तथा भगत)	14.05.2018	15.05.2018

मानवविज्ञान विभाग

क्रं.	शोधार्थी का नाम	शोध प्रबंध का विषय	मौखिकी तिथि	अधिसूचना की तिथि

1	रामचंद साहू	टाइगर रिजर्व क्षेत्र के बैगा जनजाति में विस्थापन का प्रभाव: एक मानवशास्त्रीय अध्ययन	20.04.2018	17.05.2018

जनसंचार विभाग

क्रं.	शोधार्थी का नाम	शोध प्रबंध का विषय	मौखिकी तिथि	अधिसूचना की तिथि
1	विकास चंद्र	प्राइम टाइम में विज्ञापन प्रस्तुतीकरण और उपभोक्ता व्यवहार ('आज तक' और 'स्टार प्लस' के संदर्भ में)	03.04.2018	13.04.2018
2	शंभू शरण गुप्त	जनसंपर्क उपकरण के रूप में सोशल मीडिया: उपयोग एवं प्रभाव (हिंदुस्तान, युनिलीवर एवं एमवे के विशेष संदर्भ में)	03.04.2018	13.04.2018
3	बलराम राम	टेलीविजन धारावाहिकों के परिप्रेक्ष्य में पारिवारिक मूल्यों में बदलाव: एक अध्ययन ('बालिका बधू' और 'ना आना इस देश में लाडो' के विशेष संदर्भ में)	09.05.2018	15.05.2018
4	भवानी शंकर	मीडिया का वर्तमान यथार्थ: एकाधिकारवाद और नियमन	09.05.2018	15.05.2018
5	हिमांशु बाजपेयी	राष्ट्रीय चेतना के विकास में नवल किशोर प्रेस का योगदान (विशेष संदर्भ: अवध अखबार एवं तत्कालीन सरोकार)	09.05.2018	15.05.2018

गांधी एवं शांति अध्ययन विभाग

क्रं.	शोधार्थी का नाम	शोध प्रबंध का विषय	मौखिकी तिथि	अधिसूचना की तिथि
1	कु. नेहा नेमा	भ्रष्टाचार की चुनौतियाँ: कानून, मीडिया और आन्दोलन के नए औजारों के असर से सुधार और क्रांति की नवीन संरचना	08.03.2018	09.03.2018
2	अमृत अर्णव	वर्तमान पर्यावरणीय समस्या एवं गांधीय समाधान: एक समीक्षात्मक अध्ययन	20.03.2018	20.03.2018
3	मनोज कुमार	उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिकों की स्थिति का विश्लेषणात्मक अध्ययन (उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के विशेष संदर्भ में)	05.04.2018	12.04.2018

स्त्री अध्ययन विभाग

क्रं.	शोधार्थी का नाम	शोध प्रबंध का विषय	मौखिकी तिथि	अधिसूचना की तिथि
1	रेणु कुमारी	21वीं सदी के पहले दशक का हिंदी सिनेमा और स्त्री छवि	27.01.2018	31.01.2018
2	राज कुमार	भारतीय सूफी परंपरा में सूफी महिलाओं का जीवन-दर्शन और साहित्य लेखन में योगदान	07.05.2018	10.05.2018
3	अस्मिता ह. राजुरकर	नर्सिंग पेशे का नारीवादी अध्ययन (विदर्भ-नागपुर के विशेष संदर्भ में)	28.05.2018	28.06.2018

मद संख्या–06

शिक्षकों की शोध परियोजनाएँ: विश्वविद्यालय के शिक्षकों से प्राप्त शोध प्रस्तावों पर विचार के लिए गठित समिति की अनुशंसाओं के आधार पर शोध–परियोजनाओं को दी गई स्वीकृति को अनुमोदित किया गया।

मद संख्या–07

भारतीय विचारकों के जीवन–दर्शन एवं चिंतन पर पाठ्यक्रम: भारतीय विचारकों के जीवन–दर्शन एवं चिंतन के आधारभूत पक्षों से विद्यार्थियों का परिचय कराने के परिप्रेक्ष्य में प्रो. देवराज, अधिष्ठाता, अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव पर विचार कर यह निर्णय लिया गया कि एम.ए. एवं एम. फिल. उपाधि हेतु निर्धारित पाठ्यक्रमों में स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, महात्मा गांधी, बाबा साहेब अंबेडकर तथा आचार्य नरेंद्रदेव के जीवन–दर्शन और चिंतन के आधारभूत पक्षों पर केंद्रित एक नॉन क्रेडिट प्रश्नपत्र सम्मिलित किये जाए एवं परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य बनाया जाए। इस हेतु सामग्री सुनिश्चित कर उपलब्ध कराई जाय।

मद संख्या–08

हिंदी सिनेमा के प्रख्यात अभिनेता श्री अमिताभ बच्चन को विश्वविद्यालय अधिनियिम/ परिनियम के प्रावधानों के अनुरूप डी–लिट. की मानद उपाधि प्रदान करना: प्रख्यात अभिनेता श्री अमिताभ बच्चन ने हिंदी के व्यापक विस्तार एवं संवर्धन की दिशा में सक्रिय रूप से योगदान किया है। उन्होंने अप्रतिम अभिनय प्रतिभा से देश–विदेश में हिंदी के प्रति लोगों में गहरी रुचि उत्पन्न की है तथा हिंदी को वैश्विक पटल पर प्रतिष्ठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। लगभग पाँच दशकों से हिंदी फिल्म जगत में सक्रिय अद्वितीय अभिनेता श्री अमिताभ बच्चन के असाधारण योगदान को ध्यान में रखकर उन्हें 'डी. लिट्. की मानद उपाधि' प्रदान करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

मद संख्या–09

अंकपत्र में प्रतिशत एवं प्राप्तांक का भी उल्लेख किया जाना: महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा जारी अंकपत्र में प्राप्तांक/कुल श्रेण्यंक, ग्रेड प्वाइंट, ग्रेड अक्षर सबका स्पष्ट विवरण ताकि समाहित रहे। श्रेण्यंक/प्राप्तांक के साथ–साथ प्रतिशत एवं प्राप्तांक को अंकपत्र में उल्लेख करने के संबंध में स्वीकृति प्रदान की गई।

मद संख्या–10

प्रवेश में दिव्यांगों के लिए आरक्षण: महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के पाठयक्रमों में प्रवेश हेतु दिव्यांगों को 5% आरक्षण (क्षैतिजीय आरक्षण/Horizontal Reservation) देने के संबंध में विस्तारित प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निम्ना अनुसार समिति गठित की गई:

1. प्रो. मनोज कुमार, अध्यक्ष
2. प्रो. शंभू गुप्त
3. प्रो. प्रीति सागर
4. सहायक कुलसचिव(अका.), सदस्य सचिव

मद संख्या–11

परीक्षा दायित्वों हेतु मानदेयः विद्या–परिषद द्वारा 21वीं बैठक की मद संख्या–30 के तहत विभिन्न कार्यों हेतु स्वीकृत दरों के मानदेय को संशोधित करने के विषय में समिति गठित किये जाने का निर्णय लिया गया। समिति निम्नालिखित अनुसार गठित की गईः

1. प्रो. हनुमान प्रसाद शुक्ल, अध्यक्ष
2. प्रो. अवधेश कुमार
3. डॉ. गोपाल ठाकुर
4. श्री के. के. त्रिपाठी
5. सहायक कुलसचिव(अका.), सदस्य सचिव

मद संख्या–12

प्रश्न–पत्र निर्माण एवं अन्य कार्य हेतु मानदेयः विद्या परिषद की 21वीं बैठक की मद संख्या 30 के निर्णयानुसार विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों के प्रश्न–पत्र निर्माण एवं अन्य कार्यों हेतु दिये जा रहे मानदेय को निर्धारित/संशोधित किए जाने पर पुनः विचार हेतु समिति गठित किये जाने का निर्णय लिया गया। समिति निम्ना अनुसार गठित की गईः

1. प्रो. हनुमान प्रसाद शुक्ल, अध्यक्ष
2. प्रो. अवधेश कुमार
3. डॉ. गोपाल ठाकुर
4. श्री के. के. त्रिपाठी
5. सहायक कुलसचिव(अका.), सदस्य सचिव

मद संख्या–13

प्रवेश परीक्षा समिति का गठनः सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत किया गया तथा विश्वविद्यालय के अध्यक्ष, प्रवेश समिति(सत्र 2018–19) को "प्रवेश परीक्षा समिति" का ढाँचा प्रस्तुत करने का दायित्व दिया गया।

मद संख्या–14

अंकसूची/प्रमाण–पत्र की द्वितीय प्रति जारी करने हेतु शुल्क निर्धारणः विश्वविद्यालय द्वारा अंकपत्र, उपाधि, प्रमाणपत्र की द्वितीय(डुप्लीकेट) प्रति उपलब्ध कराने के लिए शुल्क राशि ₹ 200/– (प्रत्येक प्रति) को स्वीकृत किया गया।

मद संख्या–15

अंकपत्र/प्रमाणपत्र में नाम सुधार शुल्कः विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा अपने नामांकित नाम से अलग नाम सत्रांत परीक्षा आवेदन–प्रपत्रों में अंकित कर दिये जाने के कारण अंकपत्रों में अलग अलग नाम अंकित होते हैं। विद्यार्थियों की इस लापरवाही के कारण विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए अंक प्रपत्र/प्रमाणपत्रों को वापस लेकर उसे रद्द करके उसको पुनः बनाने/त्रुटि

सुधार कर द्वितीय अंक प्रपत्र, द्वितीय प्रमाणपत्र (डिग्री) जारी करने के लिए शुल्क ₹ 200/– (प्रति कार्य हेतु) स्वीकृत किया गया।

मद संख्या–16

विभिन्न विभागों/केंद्रों से नए सत्र में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों हेतु पाठ्य–संरचना एवं क्रेडिट आदि की प्रतिवर्ष 31 जुलाई/10 फरवरी तक परीक्षा विभाग को उपलब्धताः यह निर्णय लिया गया कि परीक्षा विभाग द्वारा वितरित प्रपत्र (Format) पर सभी विभाग/केन्द्र छात्रों की पाठय् संरचना तथा केडिट की सूचना परीक्षा विभाग को शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध करायेंगे।

मद संख्या–17

परीक्षा हेतु सर्वर तथा सॉफ्टवेयर की आवश्यकताः परीक्षा विभाग में डाटा एकरूपता बनाए रखने तथा इसे व्यवस्थित बनाए रखने के लिए एवं उसका समुचित प्रयोग करने के लिए द्विभाषीय समर्थित सॉफ्टवेयर (हिंदी एवं अंग्रेजी) की आवश्यकता को ध्यान में रखकर परीक्षा हेतु सर्वर तथा सॉफ्टवेयर की माँग को अनुमोदिन किया गया।

मद संख्या–18

राष्ट्रीय अकादमिक डिपाजिटरी के साथ अनुबंधः मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार पहल से संचालित राष्ट्रीय अकादमिक डिपॉजिटरी (NAD) और विश्वविद्यालय के मध्य किये गए अनुबंध अनुबंध (MOU) के अनुसार विद्यार्थी अकादमिक पुरस्कार/प्रमाणपत्र/अंकपत्र/उपाधि को इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी करने, उनके रख–रखाव और सत्यापन, ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया आदि प्राप्त कर सकेंगे और राष्ट्रीय अकादमिक डिपॉजिटरी से पंजीकृत होकर अपना अंकपत्र एवं प्रमाणपत्र की स्वयं–सत्यापित प्रति डाउनलोड कर सकेंगे। इस तरह की सुविधा द्वारा विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को लभान्वित किया जा सके इस उद्देश्य से राष्ट्रीय अकादमिक डिपाजिटरी के साथ अनुबंध के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कार्यवाही हेतु अनुमोदन किया गया।

मद संख्या–19

दूर शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत नियमित माध्यम से पी–एच.डी. का प्रस्तावः दूर शिक्षा निदेशालय के शिक्षकों का पी–एच.डी. निर्देशन के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग(UGC) एवं दूर शिक्षा ब्यूरो(DEB) से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाय। इसके समाधान हेतु एक समिति का गठन किया जाय। इस हेतु कुलपति को अधिकृत किया गया।

मद संख्या–20

निर्धन एवं मेधावी विद्यार्थियों हेतु छात्रवृत्तिः विश्वविद्यालय ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्र में स्थित है तथा यहाँ पढ़नेवाले विद्यार्थियों की आर्थिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर निर्धन एवं मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के प्रस्ताव को विश्वविद्यालय की वित्त समिति एवं कार्य परिषद से अनुमोदन प्राप्त कर मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अभिमत की प्रत्याशा में सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत किया गया।

मद संख्या–21

भाषा विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की दिनांक 22.03.2018 को संपन्न बैठक का कार्यवृत्तः दिनांक 22.03.2018 को संपन्न बैठक के कार्यवृत्त के संबंध में अध्यक्ष, विद्या–परिषद को निर्णय करने का अधिकार दिया गया।

मद संख्या–22

संस्कृति विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की चौदहवीं बैठक का कार्यवृत्तः दिनांक 05.7.2018 को संपन्न बैठक का कार्यवृत्त अनुमोदित किया गया।

मद संख्या–23

अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ स्कूल बोर्ड की छठी बैठक का कार्यवृत्तः दिनांक 09.07.2018 को संपन्न बैठक का कार्यवृत्त अनुमोदित किया गया।

मद संख्या–24

शिक्षा विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की सातवीं बैठक का कार्यवृत्तः दिनांक 10.07.2018 को संपन्न बैठक का कार्यवृत्त अनुमोदित किया गया।

मद संख्या–25

मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की आठवीं बैठक का कार्यवृत्तः दिनांक 13/07/2018 को संपन्न बैठक का कार्यवृत्त अनुमोदित किया गया।

मद संख्या–26

क्षेत्रीय केंद्र कोलकाता में अकादमिक वर्ष 2018–19 से चीनी भाषा में प्रमाणपत्र एवं डिप्लोमा प्रारंभ करने पर विचारः विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र कोलकाता में चीनी भाषा में सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा को अकादमिक सत्र 2018–19 तथा अन्य पाठ्यक्रमों के संबंध में विहित प्रक्रिया द्वारा अगले अकादमिक सत्र 2019–20 से प्रारंभ करने हेतु अनुमोदित किया गया।

**** अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय ****

मद संख्या–27

साहित्य विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की बैठक का कार्यवृत्तः दिनांक 16.07.2018 को संपन्न बैठक का कार्यवृत्त निम्नलिखित अनुसार आंशिक संशोधन कर अनुमोदित किया गया।

(i) प्रदर्शनकारी कला विभाग के शोध विषयों में संशोधनः

(क) श्री नीरज कुमार, एम. फिल. शोधार्थी (सत्रः 2017–18) के शोध के शीर्षक "हिंदी सिनेमा में महिला संपादक" को संशोधित कर "हिंदी फिल्म एडिटिंग में महिलाएँ" किया गया।

(ख) श्री विजय कनौजिया, पी–एच.डी. शोधार्थी (सत्रः 2014–15) के शोध के शीर्षक "हिंदी सिनेमा में बनी धार्मिक फिल्मों का बदलता स्वरुप" को संशोधित कर "हिंदी फिल्मों में धर्म का बदलता स्वरुप" किया गया।

(ii) "प्रदर्शनकारी कला विभाग" को "सिनेमा एवं नाटयकला विभाग" किये जाने की अनुशंसा को अनुमोदित नहीं किया गया। अतः "प्रदर्शनकारी कला विभाग" नाम जारी रखा जाएगा।

मद संख्या–28

पी–एच.डी. उपाधि हेतु शोध शीर्षक बदलने/संशोधन के प्रावधान के संबंध में विचारः विश्वविद्यालय के पी–एच.डी. शोधर्थियों के शोध शीर्षक निर्धारण/संशोधन से संबंधित समस्या एवं इसके व्यवहारिक पक्षों को ध्यान में रखकर Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalay Ordinance No. 45/2017 -Modified as per UGC (Minimum standart and procedure for award of M.Phil./Ph. D. Degrees) Regulation, 2016 के अनुच्छेद 17. CHANCE OF RESEARCH TOPIC के अंतर्गत अनुक्रमांक 17.1 के अंतिम वाक्य "After that no change shall be permited in any circumstances." को संशोधित कर "The final approval of the research topic shall be given at the time of pre-submission." अनुमोदित किया गया। अध्यादेश के संशोधित अनुच्छेद को पूर्णतः निम्नलिखित अनुसार पढ़ा जाएगा–

17. CHANCE OF RESEARCH TOPIC:
The BoS shall have the power to change the topic of research.
17.1 Under extra-ordinary circumstances the BoS may change topic of research on request of the research scholar and the consent of the research supervisor with duly recorded reason in writing. The concern topic may be change within one year from the date of registration of topic. The final approval of the research topic shall be given at the time of pre-submission.

मद संख्या–29

हिन्दी विस्तार केंद्र की स्थापनाः विश्वविद्यालय के कुलपति एवं अध्यक्ष, विद्या परिषद द्वारा सूचित किया गया कि उन्नाव(उत्तर प्रदेश) में विश्वविद्यालय के स्वामित्व में एक एकड़ भू–खण्ड है, जिसका इस संस्था की स्थापना–उद्देश्यों को ध्यान में रखकर उपयोग किया जा सकता है। व्यापक विचार–विमर्श के उपरांत निर्णय लिया गया कि उपर्युक्त भू–खंड पर एक 'हिंदी विस्तार केंद्र' की स्थापना की जाए। यह केंद्र भाषा संरक्षण, लोक संपदा संरक्षण, कोश निर्माण, समाज–सांस्कृतिक अध्ययन, हिंदी–प्रचार–प्रशिक्षण, दूर शिक्षा केन्द्र, पुस्तकालय व पुस्तक–विक्रय केंद्र संचालन, वार्षिक व्याख्यान मालाओं का आयोजन आदि कार्य करेगा। हिंदी विस्तार केंद्र की व्यवस्था के संचालन हेतु कुलपति महोदय को निर्णय करने का अधिकार दिया गया।

पदेन सचिव द्वारा माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यों के प्रति कृतज्ञता–ज्ञापन के साथ बैठक संपन्न हुई।

(प्रो. कृष्ण कुमार सिंह)
पदेन सचिव : विद्या–परिषद
म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा